भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 861

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।

17 माघ, 1947 (शक)

एआई-आधारित ज्योतिष प्लेटफार्मों का विनियमन

861. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि जेनरेशन जी के लाखों प्रयोक्ता केवल भविष्यवाणियों तक सीमित न रहते हुए, भावनात्मक आश्वासन, व्यक्तिगत निर्णय लेने और आत्म-चिंतन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्मों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्मों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का आकलन किया है, जिसमें भ्रामक दावे, अपारदर्शी एल्गोरिद्म, अत्यधिक मुद्रीकरण, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएं और संवेदनशील उपयोगकर्ताओं के संभावित वित्तीय शोषण शामिल हैं; और

(ग) एआई-आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्मों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने और नागरिकों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिए, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, नियामक प्राधिकरणों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कौन-कौन से विशेष कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में प्रयोक्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है।

सरकार कुछ ऑनलाइन प्लेटफार्मों के बारे में चिंताओं से अवगत है, जो अतिरंजित या भ्रामक दावे कर सकते हैं, अपारदर्शी एल्गोरिथम सिस्टम तैनात कर सकते हैं, अत्यधिक मुद्रीकरण पद्धतियाँ को अपना सकते हैं, और डेटा गोपनीयता और कमजोर उपयोगकर्ताओं के संभावित वित्तीय शोषण से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं।

इस संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपाय हैं:

1. उपभोक्ता संरक्षण और भ्रामक दावे
   - **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** के तहत, भ्रामक विज्ञापन, झूठे आश्वासन और अनुचित व्यापार पद्धतियाँ, जिनमें स्वचालित या एआई सिस्टम द्वारा संचालित विज्ञापन शामिल हैं, प्रतिबंधित हैं।
   - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को भ्रामक दावे करने या उपभोक्ता कमजोरियों का फायदा उठाने वाले प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है।
2. डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का विनियमन
   - प्लेटफार्मों से यह अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित सहित **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का पालन करें,:**
     - अपेक्षित सावधानी संबंधी दायित्व
     - शिकायत निवारण तंत्र
     - पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी अपेक्षाएं
     - एआई-सक्षम प्लेटफॉर्म समान रूप से इन दायित्वों के अधीन हैं
3. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
   - **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023** व्यक्तिगत डेटा के वैध, पारदर्शी और उद्देश्य-सीमित प्रसंस्करण को अनिवार्य करता है
   - संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने वाले एआई प्लेटफॉर्मों से अपेक्षित है कि वे वैध सहमति प्राप्त करने और उपयोगकर्ता डेटा के दुरुपयोग, प्रोफाइलिंग या अनधिकृत मुद्रीकरण के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें
4. एआई गवर्नेंस और जिम्मेदार एआई फ्रेमवर्क
   - 5 नवंबर 2025 को जारी **इंडिया एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश में** देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, जिम्मेदार और समावेशी विकास और तैनाती के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय ढांचा प्रदान किया गया है। वे एआई प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता, सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित सिद्धांतों और श्रेष्ठ पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
   - **इंडियाएआई मिशन** अपने स्तंभ 'सुरक्षित और विश्वसनीय एआई' के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए नैतिक एआई पद्धतियों और सुरक्षा उपायों सहित सुरक्षित, भरोसेमंद और जिम्मेदार एआई के विकास और तैनाती को बढ़ावा देता है।

******